

Ph: General: 0471- 2312910, 2318153, 2318154, 2318155 Chairman:
2318150 Member Secretary: 2318151
e-mail: chn.kspcb@gov.in; ms.kspcb@gov.in FAX: 2318152 web:
kspcb.kerala.gov.in

**KERALA STATE POLLUTION CONTROL BOARD**

കേരള സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ്

Pattom P.O., Thiruvananthapuram – 695 004

പട്ടം പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം 695 004

**KSPCB/258/2025-SEE-1****Date:17-12-2025****CIRCULAR**

Sub: Categorisation of Industrial sectors into White Category

Ref: 1. Circular No. KSPCB/258/2025-SEE-1 dated 28/03/2025

2. MoEF&CC Notification no. 761(E) and 762(E), dated 17.10.2025

The Central Pollution Control Board (CPCB) has revised the methodology for calculation of Pollution Index and has issued the revised categorisation list of industries under Red/Orange/Green/White/ Blue categories. The same was adopted by the Kerala SPCB vide Circular read (1) above. As per the categorisation of CPCB a total of 54 industrial sectors were classified under White category.

Now the MoEF&CC vide Gazette Notification no. 761(E) and 762(E), dated 17.10.2025 notified the list of 86 sectors under white category which are exempted from the requirement of consent under the Water and the Air Act, thus including 32 additional sectors in White.

The revised list issued by the Ministry (enclosed herewith) is hereby adopted and Consent applications shall be processed accordingly.

Signed by
CHAIRPERSON
Sreekanth S

Date: 17-12-2025 16:00:31

To

1. The Chief Environmental Engineer,
Regional Office, Thiruvananthapuram /Ernakulam/Kozhikode
2. The Senior Environmental Engineer,
District Office. Wayanad, Kannur
3. The Environmental Engineer, District Office,

Thiruvananthapuram, Kollam, Pathanamthitta, Alapuzha, Kottayam
Idukki, Ernakulam-1, Ernakulam-2, Environmental Surveillance Centre Eloor,
Thrissur, Palakkad, Malappuram, Kozhikode, Kasargod.

Copy to:-

1. All Technical Staff in HO
2. IT Cell (for uploading in the website)
3. C.A. to CHN,MS&CEE HO

-

-





भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21102025-267045
CG-DL-E-21102025-267045

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 678]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 17, 2025/आश्विन 25, 1947

No. 678]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 17, 2025/ASVINA 25, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 2025

सा.का.नि. 762(अ).—केन्द्रीय सरकार, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 25 की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 703 (अ), तारीख 12 नवम्बर, 2024 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में और संशोधन करती है, अर्थात्:

उक्त अधिसूचना में अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"अनुसूची

श्वेत श्रेणी क्षेत्रों की सूची

क्रम सं.	औद्योगिक संयंत्र या क्षेत्र
1.	साइकिल, शिशु गाड़ियां और अन्य छोटे गैर मोटर चालित वाहनों की असेंबली
2.	बेकार कागजों की बेलिंग (हाइड्रोलिक प्रेस)

3.	अकार्बनिक रसायनों का उपयोग किए बिना जैव उर्वरक और जैव-कीटनाशक
4.	ढलाई के बिना मुद्रण हेतु ब्लॉक बनाना (लकड़ी के ब्लॉक बनाने को छोड़कर)
5.	सुगंधित सुपारी उत्पादन/पीसना (पूर्णतः शुष्क यांत्रिक प्रचालन)
6.	जूता ब्रश और वायर ब्रश का निर्माण
7.	कॉयर फाइबर या पिथ प्रसंस्करण और/या कॉयर से कॉयर उत्पादों का विनिर्माण (केवल शुष्क प्रक्रिया)
8.	एयर कूलर या कंडीशनर की असेंबली, मरम्मत और सर्विसिंग
9.	कार्डबोर्ड या नालीदार बॉक्स और कागज उत्पाद (कागज या लुगदी विनिर्माण को छोड़कर और बॉयलर का उपयोग किए बिना)
10.	प्लास्टर ऑफ पेरिस से चाक बनाना (केवल कास्टिंग, बॉयलर आदि के बिना (सूर्य में सुखाना/विद्युत ओवन)
11.	भौतिक मिश्रण द्वारा 1000 मीट्रिक टन प्रति माह क्षमता तक कंक्रीट मिश्रण का एकल विनिर्माण (बॉयलर और रिएक्टर के बिना और अपशिष्ट जल का उत्पादन किए बिना)
12.	प्रयुक्त खाना पकाने के तेल संग्रह केंद्र (यूसीओ)
13.	साबुन विनिर्माण (हस्तनिर्मित - भाप उबालने या बॉयलर के बिना)
14.	डीजल पंप की मरम्मत और सर्विसिंग (पूर्ण यांत्रिक शुष्क प्रक्रिया)
15.	केवल संयोजन द्वारा विद्युत लैंप (बल्ब) और सीएफएल का निर्माण
16.	विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का संयोजन (पूरी तरह से शुष्क प्रक्रिया)
17.	इंजीनियरिंग और निर्माण इकाइयाँ (बिना किसी ऊष्मा उपचार/धातु सतह परिष्करण परिचालन/पेंटिंग के शुष्क प्रक्रिया)
18.	स्प्रे पेंटिंग के बिना बड़ईगिरी और लकड़ी के फर्नीचर का निर्माण (आरा मिल को छोड़कर) विद्युत (मोटर चालित) मशीनों जैसे कि विद्युत लकड़ी योजनाकार, स्टील आरी काटने वाले गोलाकार ब्लेड आदि की मदद से।
19.	स्प्रे पेंटिंग के बिना स्टील फर्नीचर
20.	फीडस्टॉक पर आधारित संपीडित बायो गैस संयंत्र- नगर निगम का ठोस अपशिष्ट, कृषि अवशेष, ऊर्जा फसलें, घास या खरपतवार, पशु अपशिष्ट, दबा हुआ कीचड़, आदि (औद्योगिक या प्रक्रिया अपशिष्ट के अतिरिक्त समान प्रकार के फीडस्टॉक के रूप में), कोई अपशिष्ट जल का निर्वहन नहीं करते और उप-उत्पादों का उत्पादन करते हैं,- (i) किण्वित जैविक खाद (एफओएम) और /या तरल किण्वित जैविक खाद (एलएफओएम) समृद्ध खाद और /या (ii) विद्युत का उपयोग करके कोयले का चूर्ण या गोली बनाना।

21.	अंतिम उपयोगकर्ता उद्योग के परिसर में स्थित बिल्ड आन आपरेट / बिल्ड आन आपरेट ट्रांसफर / बिल्ड आपरेट ट्रांसफर मोड आदि पर इलेक्ट्रोलिसिस (नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके) के माध्यम से हाइड्रोजन का उत्पादन और अंतिम उपयोगकर्ता उद्योग से प्राप्त डी-मिनरलाइज्ड पानी और अन्य उपयोगिताओं (कूलिंग टॉवर, ईटीपी, आदि) का सीधे उपयोग करना।
22.	संपीड़ित ऑक्सीजन गैस, कच्चे द्रव ऑक्सीजन से (किसी विलायक के उपयोग के बिना और केवल अन्य गैसों को अलग करने के लिए दबाव और तापमान बनाए रखकर)
23.	कांच की नलियों से कांच और ऐम्प्यूल और शीशियां बनाना
24.	कांच नट की सजावट
25.	मेडिकल ऑक्सीजन
26.	हथकरघा/कालीन बुनाई (रंगाई और विरंजन कार्य के बिना)
27.	वैज्ञानिक और गणितीय विनिर्माण
28.	जूत से उत्पादों का निर्माण (बिना रंगाई या बिना बॉयलर के)
29.	चमड़े के जूते और चमड़े के उत्पाद (टैनिंग और खाल प्रसंस्करण को छोड़कर)
30.	चमड़े की कटाई और सिलाई (10 से अधिक मशीनों और मोटर का उपयोग करके)
31.	जैविक खाद (भौतिक मिश्रण)
32.	पाउडर दूध की पैकिंग
33.	कोल्ड रोलिंग मिल (बिना ताप उपचार के)
34.	तार खींचना और तार जाल लगाना (परिष्करण रहित और ताप उपचार रहित)
35.	धातु आवरण डिब्बे का विनिर्माण
36.	भौतिक मिश्रण द्वारा कार्बनिक और अकार्बनिक पोषक तत्व (बॉयलर के बिना और किसी रिएक्टर के बिना)
37.	बिस्कुट तश्तरी आदि (स्वचालित निर्वात बनाने वाली मशीनों का उपयोग करके)
38.	केवल संयोजन द्वारा फाउंटेन पेन का निर्माण
39.	ग्लास पुट्टी और सीलेंट (केवल मशीन से मिलाकर)
40.	पेपर पिन, यू-क्लिप आदि का निर्माण।
41.	सौर फोटोवोल्टिक सेल और पवन ऊर्जा के माध्यम से सौर ऊर्जा उत्पादन
42.	विद्युत मोटरों और जनरेटरों की मरम्मत (शुष्क यांत्रिक प्रक्रिया)
43.	प्लास्टिक या कपास की रस्सी का निर्माण
44.	टायर रेट्रेडिंग
45.	संग्रहण केंद्र (प्रदूषण-निवारण, वहिःस्राव और कतरन के बिना)
46.	केवल शल्य चिकित्सा और चिकित्सा उत्पाद (वहिःस्राव-उत्पादन प्रक्रिया के बिना)
47.	सौर मॉड्यूल या गैर-पारंपरिक ऊर्जा उपकरण का निर्माण

48.	डिजिटल थर्मामीटर निर्माण
49.	चाय का सम्मिश्रण और पैकिंग
50.	परिधान और परिधान विनिर्माण उद्योग जिसमें बिना बाँयलर के डबलिंग या रीलिंग या टीएफओ-टू फॉर वन यूनिट (शुष्क प्रक्रिया) शामिल है-
51.	सूती और ऊनी होज़ियर बनाना (केवल सूखी प्रक्रिया, बिना किसी रंगाई या धुलाई प्रक्रिया के)
52.	रेलवे साइडिंग केवल रक्षा उद्देश्य के लिए
53.	जैवनिम्नीकरणीय अपशिष्टों पर आधारित घरेलू जैव-पाचक/ गोबर-गैस (गोबर) संयंत्र आदि।
54.	मिनी हाइडल पावर प्लांट (क्षमता-25 एमवी)
55.	कृषि-उत्पाद प्रसंस्करण इकाइयाँ जिनकी क्षमता 0.5 टीपीडी से अधिक लेकिन 1 टीपीडी से कम हो, जो केवल स्वच्छ ईंधन-विद्युत कार्बनिक ईंधन (अपशिष्ट उत्पादन के बिना) का उपयोग करती हों।
56.	संयोजन इकाइयाँ और यांत्रिक कार्यशालाएँ (बिना ऊष्मा या सतह उपचार या स्प्रे पेंटिंग के)
57.	बेकरी, कन्फेक्शनरी और मिठाई उत्पादन इकाइयाँ जिनकी क्षमता 0.5 टीपीडी से अधिक लेकिन 1 टीपीडी से कम हो, केवल स्वच्छ ईंधन - बिजली / गैसीय ईंधन का उपयोग करती हों और टर्मिनल एसटीपी से जुड़ी नगरपालिका सीवरेज प्रणाली में निर्वहन की अनुमति हो।*
58.	शुष्क यांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से सफाई और अन्य ब्रशों का निर्माण (बिना मोल्टिंग और बिना अपशिष्ट/उत्सर्जन उत्पादन के)
59.	मवेशी/मछली/मुर्गी आहार गोली निर्माण (बाँयलर और वहिःस्राव उत्पादन के बिना केवल पैलेटाइजेशन इकाई)
60.	सीमेंट उत्पाद (एस्वेस्टस का उपयोग किए बिना) जैसे पाइप, खंभा, जाफरी, कुआं रिंग, ब्लॉक/टाइलें आदि (<1 टीपीडी)*
61.	विद्युत भट्टी द्वारा सिरेमिक कप और प्लेटों की सजावट
62.	डिटर्जेंट पाउडर निर्माण (हस्तनिर्मित- भाप उबालने या बाँयलर के बिना)*
63.	फ्लेक्स या बिनाइल, पीवीसी आदि पर डिजिटल प्रिंटिंग (5 मशीनों से कम)*
64.	केवल बिजली का उपयोग करके आसुत जल (< 1 KLD क्षमता)*
65.	तांबे और एल्यूमीनियम तार की डीपीसी (पेपर कोटिंग) (केवल शुष्क प्रक्रिया)

66.	खाद्य एवं खाद्य प्रसंस्करण इकाई (क्षमता 0.5 टीपीडी से अधिक लेकिन 1 टीपीडी से कम) जो केवल स्वच्छ ईंधन- बिजली/गैसीय ईंधन का उपयोग करती है, तथा टर्मिनल एसटीपी से जुड़ी नगरपालिका सीवरेज प्रणाली में निर्वहन की अनुमति रखती है।*
67.	केवल ईंधन वितरण इकाई, ऑटोमोबाइल सर्विसिंग, मरम्मत और पेंटिंग के बिना
68.	स्वर्ण परख एवं हॉलमार्किंग केंद्र
69.	निष्कर्षण के बिना हर्बल पाउडर उत्पाद बनाना (शुष्क प्रक्रिया- उत्सर्जन या वहिःस्राव उत्पादन के बिना)
70.	इंजीनियरिंग प्लास्टिक से औद्योगिक वस्तुएं केवल निर्माण प्रक्रिया द्वारा (मोल्डिंग के बिना)
71.	सभी प्रकार के धागे, डोरियाँ, सुतली आदि का निर्माण (बिना ओटाई के)
72.	विक्स, टेप, पट्टियाँ, सोखने वाली कपास आदि का निर्माण (बाँयलर और वहिःस्राव उत्पादन के बिना सूखी प्रक्रिया)
73.	घरेलू हार्डवेयर और बर्तनों का निर्माण (बिना ऊष्मा/सतह उपचार/वहिःस्राव उत्पादन के)
74.	केवल कटिंग/सिलाई/गमिंग द्वारा उत्पादों का विनिर्माण (वहिःस्राव/उत्सर्जन उत्पादन के बिना)
75.	केवल भौतिक मिश्रण के माध्यम से उत्पादों का विनिर्माण जैसे - फ्लोर पॉलिश, नेल पॉलिश, हेयर ऑयल, शैम्पू, दूध पाउडर, दूध पेस्ट, परफ्यूम, हैंड सैनिटाइज़र, (सूक्ष्म और लघु पैमाने पर संचालन)
76.	सैनिटरी नैपकिन/डायपर फिक्सिंग और सीलिंग का विनिर्माण (अपशिष्ट/वहिःस्राव उत्पादन के बिना लघु और सूक्ष्म पैमाने की इकाइयाँ)
77.	स्टेशनरी वस्तुओं का विनिर्माण (संयोजन और काटने या छिद्रण या स्टेपलिंग या बाइंडिंग आदि द्वारा)
78.	मशीनों के माध्यम से धातु निर्माण कार्य और हस्त उपकरण निर्माण (बिना ऊष्मा या सतह उपचार या स्प्रे पेंटिंग के)
79.	तेल मिल घानी और निष्कर्षण, हाइड्रोजनीकरण रहित शोधन, क्षमता 500 किग्रा/दिन से अधिक नहीं*
80.	खाद्य पदार्थों की पैकिंग (प्रसंस्करण के बिना)
81.	पेंट और वार्निश मिश्रण और सम्मिश्रण (बॉल मिल के बिना और केवल सूखी प्रक्रिया)
82.	प्लास्टिक तार, जाल, निवार और अन्य उत्पाद (लूफिंग, घुमाव, काटने आदि के माध्यम से शुष्क प्रक्रिया)

83.	मुरमुरे या चूड़ा, जिसकी क्षमता प्रतिदिन 1 टीपीडी से अधिक न हो*
84.	चावल मिलों में प्रतिदिन 1 टीपीडी से अधिक क्षमता वाली होलर मशीन*
85.	छोटे पैमाने के रेस्तरां या होटल बिना कमरे/क्लाउड किचन या रिसॉर्ट (बिना ठहरने/कमरे की सुविधा के)*
86.	खेल सामग्री निर्माण इकाइयाँ (लकड़ियों को बिना पकाए)

*मौजूदा हरित श्रेणी क्षेत्र का उप-क्षेत्र

[फा. सं. क्यू-15012/2/2022-सीपीडब्ल्यू/ई-240741]

नीलेश कुमार साह, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 703(अ), तारीख 12 नवंबर, 2024 को प्रकाशित की गई थी और संख्यांक सा.का.नि. 511(अ), तारीख 28 जुलाई, 2025 को अंतिम बार संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 2025

G.S.R. 762(E).—In exercise of the powers conferred by proviso to sub-section (1) of section 25 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974), the Central Government, in consultation with the Central Pollution Control Board, hereby makes the further amendments to the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R 703 (E), dated 12th November, 2024, namely:

In the said notification, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:-

“SCHEDULE

LIST OF WHITE CATEGORY SECTORS

Sl. No.	Industrial plants or Sector
1.	Assembly of Bicycles, Baby carriages and other small non motorizing vehicles
2.	Bailing (hydraulic press) of waste papers
3.	Bio fertilizer and bio-pesticides without using inorganic chemicals
4.	Block making of printing without foundry (excluding wooden block making)
5.	Flavoured Betel nuts production/grinding (completely dry mechanical operations)
6.	Manufacturing of shoe Brush and Wire Brush
7.	Coir fibre or pith processing and/or Manufacturing of coir products from coir (only dry process)
8.	Assembly of air coolers or conditioners, repairing and servicing
9.	Cardboard or corrugated box and paper products (excluding paper or pulp manufacturing and without using boilers)

10.	Chalk making from plaster of Paris (only casting without boilers etc. (sun drying or electrical oven)
11.	Standalone manufacturing of Concrete admixtures up to 1000 MT per Month capacity by physical mixing (without boiler and reactor and no generation of wastewater)
12.	Used cooking oil collection centres
13.	Soap manufacturing (handmade-without steam boiling or boiler)
14.	Diesel pump repairing and servicing (complete mechanical dry process)
15.	Electric lamp (bulb) and Compact Fluorescent Lamp (CFL) manufacturing by assembling only
16.	Electrical and electronic item assembling (completely dry process)
17.	Engineering and fabrication units dry process without any heat treatment/metal surface finishing operations or painting)
18.	Carpentry and wooden furniture manufacturing without spray painting (excluding saw mill with the help of electrical (motorized) machines such as electrical wood planner, steel saw cutting, circular blade, etc.
19.	Steel furniture without spray painting
20.	Compressed Bio Gas plants based on feedstock-Municipal Solid Waste, agro-residue, energy crops grass or weeds, animal waste, press mud, etc. (as similar type feedstock apart from industrial or process waste), not discharging any waste water and producing by-products,- (i) Fermented Organic Manure (FOM) and/or Liquid Fermented Organic Manure (LFOM), enriched manure and/or (ii) Briquette or pellet using electricity.
21.	Hydrogen production through electrolysis (using renewable energy) on Build-Own-Operate (BOO) or Build-Own-Operate –Transfer ((BOOT) or Build-Operate-Transfer (BOT) mode etc., located in the premises of end user industry and directly using de-mineralized water & other utilities (cooling tower, ETP, etc.) sourced from end user industry
22.	Compressed oxygen Gas from crude liquid oxygen (without use of any solvents and by maintaining pressure and temperature only for separation of other Gases)
23.	Glass and ampules and vials making from Glass tubes
24.	Glass nut decorticating
25.	Medical Oxygen
26.	Handloom/carpet weaving (without dying and bleaching operation)
27.	Manufacturing of scientific and mathematical
28.	Manufacturing of products from jute (without dyeing or without boiler)
29.	Leather foot wear and Leather products (excluding tanning and hide processing)
30.	Leather cutting and stitching (more than 10 machine and using motor)
31.	Organic Manure (physical mixing)
32.	Packing of powdered Milk
33.	Cold rolling mill (without heat treatment)
34.	Wire drawing and wire netting (without pickling and without heat treatment)
35.	Manufacturing of Metal caps containers etc

36.	Organic and inorganic Nutrients by physical mixing (without boiler and without any reactor)
37.	Biscuits trays etc. from rolled PVC sheet (using automatic vacuum forming machines)
38.	Fountain Pen manufacturing by assembling only
39.	Glass Putty and sealant (by mixing with machine only)
40.	Manufacturing of Paper Pins, U-clips, etc.
41.	Solar Power generation through solar photovoltaic cell and wind power
42.	Repairing of electric motors and generators (dry mechanical process)
43.	Manufacturing of plastic or cotton Rope
44.	Type Retreaders
45.	Collection Centres (Without depollution, dismantling and shredding)
46.	Surgical and medical products assembled only (without effluent-generating process)
47.	Manufacturing of Solar module or non-conventional energy apparatus
48.	Digital thermometer manufacturing
49.	Blending and packing of tea
50.	Garment and apparel manufacturing industry including Doubling or Reeling or TFO-Two for one unit (dry process)- without boiler
51.	Cotton and woollen Hosiers making (Dry process only without any dyeing or washing operation)
52.	Railway sidings only for defence purpose
53.	Household bio-digesters/gobar-gas (cow-dung) plants based on biodegradable wastes, etc.
54.	Mini Hydel power plants (Capacity -25 MW)
55.	Agro-produce processing units having capacity more than 0.5 TPD but less than 1 TPD, using only cleaner fuels –electricity or gaseous fuel (without effluent generation)
56.	Assembling units and mechanical workshops (without heat or surface treatment or spray painting)
57.	Bakery, confectionery, and sweets production units having capacity more than 0.5 TPD but less than 1 TPD, using only cleaner fuels –electricity or gaseous fuel and with having permission to discharge in municipal sewerage system connected to terminal STP*
58.	Cleaning and other brushes manufacturing through dry mechanical process (without moulding and without effluent/emission generation)
59.	Cattle/ fish/ poultry feed pellet making (only palletisation unit without boiler and effluent generation)
60.	Cement products (without using Asbestos) like pipe, pillar, jafri, well ring, blocks/tiles etc. (<1 TPD)*
61.	Decoration of ceramic cups & plates by electric furnace
62.	Detergent powder manufacturing (handmade -without steam boiling or boiler)*
63.	Digital Printing on flex or vinyl, PVC etc. (less than 5 machines)*
64.	Distilled water using only electricity (< 1 KLD capacity)*
65.	DPC (paper coating) of copper and aluminium wire (only dry process)

66.	Food and food processing unit (having capacity more than 0.5 TPD but less than 1 TPD) using only cleaner fuels -electricity/gaseous fuel, with having permission to discharge in municipal sewerage system connected to terminal STP*
67.	Fuel dispensing unit only without automobile servicing repairing and painting
68.	Gold Assaying & Hallmarking Centres
69.	Herbal powder products making without extraction (dry process - without emissions or effluent generation)
70.	Industrial items from engineering plastics by fabrication process only (without moulding)
71.	Manufacturing of all types of threads, cordage, twines etc. (without ginning)
72.	Manufacturing of cotton vicks, tapes, bandages, adsorbent cotton etc. ((dry process without boiler and effluent generation)
73.	Manufacturing of Domestic Hardware and Utensils (Without heat/surface treatment/effluent generation)
74.	Manufacturing of products by only cutting/stitching/gumming (without effluent/emissions generation)
75.	Manufacturing of products through physical mixing only like - Floor Polish, Nail Polish, Hair Oil, Shampoo, Tooth Powder, Tooth Paste, Perfume, Hand Sanitizer, (Micro and small scale operations)
76.	Manufacturing of sanitary napkins/ diapers fixing and sealing (Small and Micro scale units without effluent/emission generation)
77.	Manufacturing of Stationery Items (by assembling, and cutting or punching or stapling or binding etc.)
78.	Metal fabrication works and hand tool manufacturing through machines (without heat or surface treatment or spray painting)
79.	Oil mill ghani and extraction no hydrogenation refining with capacity not exceeding 500 kg/day*
80.	Packing of food items (without processing)
81.	Paints and varnishes mixing and blending (without ball mill and only dry process)
82.	Plastic wire, net, nivar and other products (dry process through looping, twisting, cutting etc.)
83.	Puffed rice or murhi or chura with capacity not exceeding 1 TPD per day*
84.	Rice mills holler machine with capacity not exceeding 1 TPD per day*
85.	Small scale restaurant or hotel without room/cloud kitchens or Resorts (without stay/room facility)*
86.	Sports Goods Manufacturing Units (without seasoning of woods)

*Sub-sector of existing green category sector”

[F. No. Q-15012/2/2022-CPW/e-240741]

NEELESH KUMAR SAH, Jt. Secy.

Note: The principal Notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 703 (E), dated the 12th November, 2024 and last amended *vide* number G.S.R. 511 (E), dated the 28th July, 2025 .